न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 22/2022
दायर दिनांक : 02/05/2022
निर्णय दिनांक : 25/11/2025

उनवान

1 लादु लाल पिता नारायण लाल जाति कुम्हार निवासी रामाखेडा तहसील भूपालसागर
2 शान्ति बाई पत्नि नारायण लाल जाति कुम्हार निवासी रामाखेडा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1 किशन लाल पिता गंगाराम जाति अहीर निवासी रामाखेडा तहसील भूपालसागर
2 जेती बाई पत्नि गंगाराम जाति अहीर निवासी रामाखेडा तहसील भूपालसागर
3 देवा लाल पिता गंगाराम जाति अहीर निवासी रामाखेडा तहसील भूपालसागर
4 नन्द लाल पिता गंगाराम जाति अहीर निवासी रामाखेडा तहसील भूपालसागर
5 तहसीलदार भूपालसागर
6 उपपंजीयक अधिकारी, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री पवन जायसवाल, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री मांगीलाल बैरवा, अधिवक्ता,अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी ग्राम रामाखेडा प0 ह0 बबराना तहसील भुपालसागर के हल्के बैरूनी मे वादीगण की मौरूसी मिल्कीयत की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात स्थित है जिसके हाल खाता संख्या 147 के हाल आ0न0 1886 रकबा 0.12 है0 आ0न0 1890 रकबा 0.06 है0 तथा खाता संख्या 160 के हाल आ0न0 1837 रकबा 0.09 है0 आ0न0 1872 रकबा 0.04 है0 आ0न0 1873 रकबा 0.03 है0 आ0न0 1877 रकबा 0.03 है0आ0न0 1883 रकबा 0.02 है0 आ0न0 1919 रकबा 0.09 है0 कुल किता 6 रकबा 0.30 है0 स्थित है। जिसके साबिक आ0न0 1072 रकबा 0.02 है0 आ0न0 1074 रकबा 0.03 बिस्वा है0 आ0न0 1070 रकबा 15 बिस्वा आ0न0 1112 रकबा 0.08 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 1 बिघा 8 विस्वा थें। वास्ते सिबुत हाल जमाबन्दी, साबिक जमाबन्दी, मिलान खसरा व हाल नक्शा व साबिक नक्शा सभी की प्रमाणित नकले पेश है। उक्त साबिक आ0न0 1072 प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त के थे उक्त साबिक आ0न0 1072 के हाल आ0न0 1883 एवं 1884 नये नम्बर बने जो, कि प्रार्थीगण के खातेदारी के थे लेकिन सेटलमेन्ट के बाद हाल आ0न0 1883 तो प्रार्थीगण के खातेदारी मे दर्ज कर दिये गये लेकिन कहाल आ0न0 1884 को अप्रार्थी संख्या से 1 से 4 के हाल खाता संख्या 84 हाल आराजी न0 1884 को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कर दिया जो गलत है। साबिक आ0न0 1072 से बने हाल आ0नं0 1883 एवं 1884 पर मौके पर बटवाडा होकर प्रार्थीगण के हिस्से कब्जे मे है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर फसल काश्त कर रहे है उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त विवादित आराजी न0 1884 अप्रार्थीगण के खातेदर्ज होने का नाजायत फायदा उठा कर प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल करने , कब्जे मे दललन्दाजी करने एवं उक्त आराजी को रहन बह बक्षीस एवं वसीयत करने की धमकी दे रहे है इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थीगण को कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी नही करे कब्जे से बेदखल नही करें एवं प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बह बक्षीस व वसीयत नही करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे न ही अपने परिवारजन नौकर एजेन्ट इ... करावें तथा अप्रार्थी संख्या 5 प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.05 16:22:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

प्रकरण संख्या : 22/2022

को कब्जे से बेदखल नही करे काश्त करने से नही रोके रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी संख्या 6 प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित आराजीयात के ऐसे किसी दस्तावेज का पंजीयन नही करे। अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है रोके जाने से अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की हानि नही है नही रोके जाने से प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी भरपाया रूपयो से नही आंका जा सकेगा और भविष्य में मुकदमें बाजी बढेगी। अप्रार्थीगण ने दिनांक 14.04.2022 को प्रार्थीगण से लाडाई झगडा किया तथा प्रार्थीगण को उक्त विवादित आराजीयात के कब्जे से बेदखल करने पर ऊतारू हुए अतः बिनाय प्रार्थना पत्र पैदा हुई जो दिनांक 14.04.2022 से पेदा होकर निरन्तर जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की और से वकील श्री मांगीलाल बैरवा ने अधिकार पेश किया पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण द्वारा जवाद प्रस्तुत नही करने से दिनांक 14.10.2025 को जवाब बंद किया गया पैरोकार सरकार ने वादवर्णित तथ्यों से राजपक्ष प्रभावित नहीं होना अवगत कराया।

वकील प्रार्थी एवं उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित नही कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नही पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.05 16:22:18 IST
Reason: SelfAttested